राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (1) शिक्षा–4/2019 जयपुर, दिनांक : 19.03.2019

पब्लिक नोटिस

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक पृथक–पृथक अधिनियमों के द्वारा 51 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये गये है। इनकी सूची परिशिष्ट –1 पर संलग्न है। ये निजी विश्वविद्यालय यनिटरी है अतः इन्हें किसी भी अन्य संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने या अन्यथा अपने अधिकार देने की शक्ति नहीं है। इन विश्वविद्यालयों को राजस्थान प्रदेश के बाहर देश/विदेशों में ऑफ कैम्पस सेन्टर/स्टडी सेन्टर/ऑफ शोर सेन्टर स्थापित करने का अधिकार नहीं है। अपने कैम्पस के अलावा राजस्थान प्रदेश में भी इन्हें बिना राज्य सरकार एवं यू.जी.सी की पूर्व अनुमति के ऑफ कैम्पस खोलने का अधिकार नहीं है।

ये निजी विश्वविद्यालय अपने–अपने अधिनियमों की अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रम या अन्य कोई पाठ्यक्रम अपने अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार की पूर्व अनमति प्राप्त कर रेगुलर मोड में संचालित करने हेतु अधिकृत हैं। दूरस्थ शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी अनुसूची द्वितीय में वर्णित पाठ्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा परिषद की पूर्व अनुमति से ही संचालित कर सकता हैं।

पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालयों के अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानानुसार केवल मैरिट के आधार पर ही दिये जा सकते हैं परन्तु व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिये जा सकते हैं। जिन पाठ्यक्रमों के लिये राज्य या केन्द्र की एजेन्सियां प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती है, उनमें प्रवेश इन एजेन्सियों से छात्र आवंटित करवाकर ही दिये जा सकते हैं। ऐसे व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम, जिनमें राज्य या केन्द्र की कोई एजेन्सी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करती है, उनमें प्रवेश हेतु निजी विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु सीटों की संख्या एवं फीस का उल्लेख करते हुये प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे एवं परीक्षा परिणाम व प्रवेश हेतु पात्र पाये गये विद्यार्थियों की संख्या एवं प्राप्तांक प्रतिशत का विवरण भी समाचार पत्रों/नोटिस बोर्ड में देना होगा व राज्य सरकार को प्रेषित करना होगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38 के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि

का अनुपालन करने के लिए आबद्ध हैं। अतः विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम संचालित करने से पूर्व विनियामक निकायों यथा यू.जी.सी, एआईसीटीई, एमसीआई, बीसीआई, आसीएआर, स्टेट गवर्नमेन्ट आदि के मापदण्डों/नियमो/निर्देशों सहित विश्वविद्यालय अधिनियम के समस्त प्रावधानों व विनियामक निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मापदण्डों, समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।

सभी अभिभावकों/विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों/प्रावधानों की पालना की पुष्टि के बाद ही निर्धारित प्रकिया धारा 32 द्वारा व परिशिष्ट 2 पर संलग्न अनुसूचियों/ अनुमति पत्रों में वर्णित पाठ्यक्रम में ही प्रवेश लेवें।

19.3.19

(डॉ. राजेन्द्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि–

1 सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
6 समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7 प्रभारी, वेबसाईट आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पब्लिक नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित करें व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वैबसाईट के लिंक के सबन्ध में सर्वसाधारण को अवगत करावें।
8 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा